130

मध्यप्रदेश शासन
वित्त मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 11-9-2002

क्र. [illegible]/25/[illegible]3/2002/नि[illegible]/चार,

प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
[illegible] मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय [illegible],
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त सचिव, जिला योजना समिति, मध्यप्रदेश,
समस्त संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन,
समस्त कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण ।

संदर्भ :- पेंशन कार्य का जिला स्तर ... एफ.बी.25/20/94/पी.डब्ल्यू.सी./चार, भोपाल
म0प्र0शासन, वित्त विभाग का ज्ञाप क्र. [illegible]
दिनांक 13.3.95

--00--

शासकीय सेवकों को यथासंभव सेवानिवृत्ति तारीख तक पेंशन प्राधिकार पत्र प्राप्त हो जायें, इसे
[illegible] गत रखते हुये राज्य शासन संदर्भित निर्देशों को निरस्त करते हुए पेंशन के कार्य का जिला स्तर तक
विकेन्द्रीकरण कर निम्नांकित निर्देश प्रसारित करता है :-

1/ जिलों में पदस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों के पी0पी0ओ0/जी0पी0ओ0/कम्युटेशन प्राधिकार पत्र
जारी करने का कार्य जिला कोषालय द्वारा किया जायेगा । पेंशन की इस व्यवस्था के फलस्वरूप संभागीय
संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाने वाला पेंशन कार्य वापस लिया
जाता है । ऐसे जिले जहाँ एक से अधिक कोषालय है वहाँ पर उक्त प्राधिकार पत्र उसी कोषालय द्वारा
जारी किये जावे, जिस कोषालय से कर्मचारी का वेतन आहरित होता रहा है ।

2/ भोपाल स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीनस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों के
पी0पी0ओ0/जी0पी0ओ0/कम्युटेशन प्राधिकार पत्र संचालक, पेंशन द्वारा जारी किये जायेंगे । भोपाल
स्थित अन्य कार्यालयों के पी0पी0ओ0/जी0पी0ओ0 उस कोषालय अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे जिस
कोषालय से कर्मचारी का वेतन आहरित होता रहा है । भोपाल के बाहर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों के
शासकीय सेवकों के पेंशन प्राधिकार पत्र संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे ।

[illegible] प्रकरणों को अंतिम रूप देने में विलम्ब न हो, इसके लिये कार्यालय प्रमुख को वेतन निर्धारण [illegible] होगा परन्तु उसकी जाँच संबंधित कोषालय अधिकारी तथा संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं [illegible] होगा । परन्तु [illegible] कार्यालय प्रमुख द्वारा किये गये वेतन [illegible] तथा उनकी प्रमाणित जानकारी के आधार पर पेंशन प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

[illegible] जाँच में गलत जानकारी/गलत वेतन निर्धारण के कारण यदि राशि वसूली की आवश्यकता हुई तो [illegible] वसूली पेंशन प्रकरण के निराकरण के बाद प्राप्त होने वाली पेंशन तथा अन्य देय राशियों में से की जा [illegible] । [illegible] हेतु पेंशन प्रकरण कोषालय/संचालक, पेंशन कार्यालय को भेजने से पूर्व शासकीय सेवक से [illegible] 3 प्रतियों में लिये जाने [illegible] एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु तथा शेष 2 प्रति पेंशन [illegible] करने वाले कार्यालय की ओर भेजी जावेगी । पेंशन कार्यालय [illegible] क्षतिपूर्ति बंध की एक प्रति [illegible] के साथ संलग्न कर जिस स्थान से पेंशनर पेंशन प्राप्त करना चाहते है वहाँ के कोषालय पर भेजी जावेगी । क्षतिपूर्ति बंध के आधार पर अधिक भुगतान (किन्हीं कारणों से) होने की दशा में मँहगाई [illegible], ग्रेच्युटी, कम्युटेशन व पेंशन की राशि तथा अन्य देय राशियों से अधिक भुगतान की राशि वसूल [illegible] सकेगी । क्षतिपूर्ति बंध इन निर्देशों के साथ प्रपत्र-[illegible] में संलग्न है ।

5/ पेंशन के वर्तमान में प्रचलित 30 प्रपत्रों के स्थान पर पेंशन के सरलीकृत चार प्रपत्र निर्धारित किये [illegible] हैं जो इन निर्देशों के साथ संलग्न है इन प्रपत्रों को क्रमशः पेंशन/पारिवारिक [illegible]/उपदान/सारांशीकरण की स्वीकृति हेतु प्रपत्र नाम दिये गये है । 01 अक्टूबर 02 से पेंशन प्रकरण [illegible] इन्हीं प्रपत्रों में भेजा जायेगा । उक्त तिथि के पूर्व इन नये प्रपत्रों के साथ-साथ वर्तमान में [illegible] प्रपत्रों में पेंशन प्रकरण पेंशन कार्यालयों द्वारा स्वीकार किये जायेंगे ।

6/ डुप्लीकेट सेवापुस्तिका एवं जन्मतिथि [illegible] एवं ओवर राइटिंग की दशा में जन्मतिथि की मान्यता के अधिकार जिला स्तर के पेंशन प्रकरणों के लिए कलेक्टर व विभागाध्यक्ष कार्यालयों के लिए संचालक पेंशन/संयुक्त संचालक [illegible] । [illegible] इन प्रकरणों की मान्यता कोषालय अधिकारी [illegible] परीक्षणोपरांत देंगे ।

7/ संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यालयों का निरीक्षण, आडिट कर सकेंगे । इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं ।

8/ कोषालय अधिकारी द्वारा निराकृत पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के लिये जिला स्तर पर पेंशन समिति का गठन किया जायेगा जिसके अध्यक्ष-कलेक्टर, सचिव-कोषालय अधिकारी एवं सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होंगे । समिति द्वारा पेंशन प्रकरणों की समीक्षा कर प्रतिवेदन आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा संचालक, पेंशन को भेजा जावेगा । पेंशन समिति द्वारा संबंधित कार्यालय प्रमुख को बैठक में आवश्यक जानकारी के साथ बुलाया जा सकेगा ।

9/ कोषालय द्वारा निराकरण किये गये प्रकरण एवं जिला स्थित कार्यालयों में लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा जिला योजना समिति की लोक लेखा समिति द्वारा की जावेगी ।

[illegible] स्तर पर [illegible] एवं जिला कार्यालयों में लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रतिमाह विभागवार [illegible] को प्रेषित करेंगे । इस संबंध में जिला कोषालयों को प्रपत्र [illegible] दिये जायेंगे ।

[illegible], पेंशन द्वारा इन निर्देशों के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर [illegible] प्रतिमाह विभागवार, जिलेवार तथा [illegible] स्तर पर समीक्षा करने के लिये संचालक, पेंशन द्वारा [illegible] वित्त विभाग को प्रस्तुत की जायेगी ।

[illegible] प्रक्रिया के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के अनुसार म0प्र0 सिविल सर्विसेज(पेंशन) नियम 1976 [illegible] नियमों एवं उनके संलग्न प्रपत्रों को [illegible] आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किये [illegible] है ।

[illegible]:- सरलीकृत चार पेंशन प्रपत्र ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

139
131

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांकसी/3–'3/1/3/08 भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,म.प्र.ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष ,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मध्य प्रदेश ।

विषय :– वेतनमान रूपये 6500–10500 में कार्यरत कर्मचारियों /अधिकारियों को राजपत्रित घोषित करने बावत् ।

———

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि सीधी भरती और पदोन्नति से भरे जाने वाले वेतनमान 6500–10500 के पदों को राजपत्रित सेवा श्रेणी दो घोषित किया जाये

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

10/4/08

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग